WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 196/2022

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्याः 236/2022

यती नरसिहांनन्द बनाम राज्य,

मुकदमा अपराध संख्याः 849/2021

धाराः 153ए, 295ए, भारतीय दंड संहिता,

थानाः को0 हरिद्वार जिला हरिद्वार।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता : श्री नारायण हर गुप्ता।

जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) : श्री इन्द्रपाल बेदी।

दिनांकः 07–02–2022

प्रार्थी/अभियुक्त यति नरसिहांनन्द पुत्र राजेश्वर दयाल त्यागी निवासी डासना मन्दिर डासना जेल के सामने थाना डासना जिला गाजियाबाद उत्तरप्रदेश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 849/2021 अन्तर्गत धारा 153ए, 295ए, भारतीय दंड संहिता, थाना को0 हरिद्वार जिला हरिद्वार के सम्बन्ध में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या 48 दिनांकित 07–02–2022 के अनुपालन में यह जमानत प्रार्थना–पत्र निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण हर गुप्ता द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 849/2021 अन्तर्गत धारा 153ए, 295ए, भारतीय दंड संहिता थाना कोतवाली हरिद्वार में दिनांक 23–12–2021 को मुकदमा वादी गुल बहार खां द्वारा दर्ज करायी गयी, जिस आधार पर अभियुक्त को अभियोजित किया गया है। उक्त मामले में अभियुक्त नामजद नहीं है। अभियुक्त को दिनांक 16–01–2022 को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया तथा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा दिनांक 20–01–2022 को निरस्त किया गया।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त वसीम रिजवी उर्फ जितेन्द्र नारायण त्यागी आदि के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में योजनाबद्ध तरीके से साजिश रचते हुऐ इस्लाम धर्म और मौहम्मद साहब के विरूद्ध आपत्तिजनक भड़काउ भाषण देकर धार्मिक भावना भड़काते हुये सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण करवाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी है। अभियुक्त का उक्त कार्यक्रम को लाइव प्रसारण करने में कोई योगदान नहीं था। धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मूल वीडियो को फेसबुक पर अपलोड किये जाने के आधार पर मुकदमा वादी द्वारा यह मामला संस्थित किया गया, जिसमें अभियुक्त का कोई योगदान नहीं है। उक्त वीडियो क्लिप मूल है यह तथ्य अन्वेषण का विषय है। मुकदमा वादी घटना स्थल पर उपस्थित था, इस आशय का कोई कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, केवल वीडियो क्लिप के आधार पर अभियुक्त को उसके दैहिक स्वतन्त्रता से वंचित रखा गया जबकि अभियुक्त के विरूद्ध कथित सम्पूर्ण मामला बनावटी व मिथ्या है तथा धर्म विशेष के लोगों द्वारा प्रायोजित है। अभियुक्त के विरूद्ध कथित अभियोग मात्र तीन वर्ष तक के अधिकतम कारावास या जुर्माना या दोनों के दण्ड से दण्डनीय है, ऐसे मामले में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिये था किन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम दृष्टया कथित वीडियो क्लीप को आपराधिक विधि शास्त्र के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध सच मानते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया जबकि उक्त वीडियो बनावटी व साजिशी है इसलिये जमानत प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया

जाये।

WWW.LIVELAW.IN

4. अभियुक्त की ओर से Amish Devgan vs. Union of India (2021 1 SCC) para No 103, तथा Bilal Ahmed Kaloo vs. State of A.P. (1997 (7) SCC 431 ..में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि–व्यवस्था के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 153क भारतीय दंड संहिता का कोई अभियोग ना बनने का कथन करते हुऐ जमानत की प्रार्थना की गयी।

5. अभियुक्त की ओर से Ramesh vs. Union of India 1998 (1) SCC 668 तथा Mahendra Singh Dhoni vs. Yerraguntla Shyamsundar (2017) 7 SCC 760, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 295क भारतीय दंड संहिता के सम्बन्ध में दोषसिद्ध करने के सम्बन्ध में कथित दिशा–निर्देशों के अनुसार भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला व तथ्य न होने से अभियुक्त को इस अपराध में भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिये था किन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त विधि–व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया।

6. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा Joginder Kumar vs. State of U.P. 1994 (4) 460, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आधार पर अभियुक्त को इस मामले में जमानत का अधिकारी बताया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसके द्वारा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19ए(1) के तहत मूल अधिकार प्रदान करती है उसके तहत अपने विचार को अपने संत समाज के मध्य प्रस्तुत किया गया था, संत समाज के समक्ष अभियुक्त के प्रस्तुत विचारों को तोड़ मरोड कर कथित वीडियो में दर्शित किया गया है तथा कथित अभियोग सात वर्ष से कम दण्ड से दण्डनीय है, ऐसे प्रकृति के मामले में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी अभियुक्त को अपवादिक कारणों में ही गिरफ्तार किया जा सकता है उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। इस मामले में कथित अभियोग में अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा का प्राविधान है इसलिये Kalyan Chandra Sarkar vs. Rajesh Ranjan @ Pappu Yadav & Anr. (2004) 7 SCC 528 में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये अभियोग की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये, वह सक्षम जमानती देने के लिये न्यायालय के निर्देशानुसार तैयार है।

7. अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र का विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता श्री इन्द्रपाल सिंह बेदी द्वारा यह कहकर विरोध किया गया कि यह सही है कि अभियुक्त इस मामले में नामजद नहीं था किन्तु दौरान विवेचना मामले में सोशल मीडिया में वायरल हुई अभियुक्त की वीडियो क्लीप जो वादी गुलबहार खां द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें अभियुक्त द्वारा धर्म विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, के आधार पर अभियुक्त का नाम इस प्रकरण में प्रकाश में आया है। अभियोजन की ओर से दौरान बहस यह भी स्वीकार किया गया कि वादी द्वारा दी गयी तहरीर में इस्लाम के विरूद्ध देने वाले आपत्तिजनक भाषण और उन्हें सोशल मीडिया में प्रसारित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने की बात कही गयी है। अभियुक्त द्वारा इस्लाम एवं मुस्लिमों के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसलिये अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना प्रथम दृष्टया बनता है। वीडियो क्लीप प्रसारित करने के सम्बन्ध में विवेचना अभी जारी है। अभियोजन की ओर से आपत्ति के प्रस्तर संख्या–8 में स्वीकार किया गया कि वादी धर्मसंसद घटनास्थल पर मौजूद नहीं था किन्तु वादी ने वायरल वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देखा एवं सुना तथा एफ.आई.आर. दर्ज करवायी तथा वादी के बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित तथ्यों के आधार पर कार्यवाही इस्लाम धर्म एवं मुस्लिमों के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण धारा 153ए व 295ए भारतीय दंड संहिता का अभियोग लगाया गया। अभियोजन का मुख्य तर्क यह है कि अभियुक्त द्वारा धर्म संसद में दिये गये

WWW.LIVELAW.IN

भाषणों से मुस्लिम समुदाय के प्रति घृणा एवं वैमनस्य पैदा होने, उनकी भावनाएं आहत होने तथा दूसरे धर्म पर अभियुक्त द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण उसके विरूद्ध अभियोग दर्ज किया गया है। अभियुक्त के कृत्य से समाज में दंगा भड़कने की पूर्ण सम्भावना है एवं पुलिस एवं प्रशासन की सर्तक दृष्टि एवं त्वरित कार्यवाही से ही दंगा होने से बचाया गया है।

8. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता श्री इन्द्रपाल बेदी के अतिरिक्त मुकदमा वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सज्जाद अहमद एवं सलमान अहमद द्वारा अभियोजन के कथनों का समर्थन प्रदान करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा अतिरिक्त रूप से यह भी कहा गया कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है, उसका आपराधिक इतिहास विवेचक द्वारा संलग्न किया गया है। अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य से समाज में वैमनस्यता बढ़ने व दंगा भड़कने की पूर्ण सम्भावना को दृष्टिगत अभियुक्त का समाज में खुले घूमना समाज एवं न्यायहित में कदापि उचित नहीं है। अभियुक्त द्वारा किये जा रहे कृत्यों से समाज में अशान्ति होने एवं दंगे भड़कने की पूर्ण सम्भावना है तथा साक्ष्य को मिटाने एवं साक्षियों को डराने धमकाने का पूर्ण अन्देशा है इसलिये अभियुक्त जोकि इस प्रकृति के अपराध करने का आदतन अपराधी है उसका जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

9. मुकदमा वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सलमान अहमद द्वारा यह भी कहा गया कि अभियुक्त के कृत्य से धार्मिक भावनाओं को तथा सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुंचने के साथ–साथ देश व विदेशों में छवि भी खराब हो रही है इसलिये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये। मुकदमा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा, अभियुक्त के द्वारा इस घटना के बाद भी इसी प्रकृति के अपराध कारित करने के तथ्यों को प्रकाश में आने का उल्लेख करते हुये अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के उपरोक्त तर्को एवं बहस को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विस्तारपूर्वक सुना गण तथा उपलब्ध कराये गये समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

11. दौरान बहस पक्षकारों के मध्य इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि अभियुक्त दिनांक 16–01–2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा अभियुक्त के विरूद्ध कथित अभियोग में अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों के दण्ड का प्राविधान है, अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज न होना तथा मुकदमा वादी का कथित धर्म संसद/भाषण स्थल पर उपस्थित न होना भी अभियोजन को स्वीकार्य है।

12. प्रस्तुत प्रकरण का मुख्य आधार मुकदमा वादी द्वारा प्रस्तुत की गयी वीडियो क्लीप है, जिसके आधार पर अभियुक्त को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 23–12–2021 को मुकदमा वादी गुलबहार खां के द्वारा धर्म संसद सम्पन्न होने के 04 दिन बाद एक लिखित तहरीर रपट सम्बन्धित थाना नगर कोतवाली, हरिद्वार में दी गयी, जिस पर अभियोजन द्वारा कथित मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट का उल्लेख किया जाना यहां आवश्यक है जो निम्न है –

13. " निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 17, 18, 19 दिसम्बर 2021 को उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में धर्म संसद के नाम से आयोजन कर वसीम रिजवी उर्फ जितेन्द्र नारायण त्यागी आदि द्वारा संयुक्त रूप से भाषणबाजी करते हुए इस्लाम धर्म के पर्वतक पैगम्बर मौहम्मद साहब और इस्लाम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक व भड़काऊ बयानबाजी की गयी, जिस कारण इन लोगों ने साजिशन पूर्व नियोजित योजना बनाकर उसके और इस्लाम धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, जिसका प्रसारण सोशल मीडिया फेसबुक पर लाईव किया गया।

WWW.LIVELAW.IN

अतः आपसे अनुरोध है कि योजनाबद्ध तरीके से साजिस रचते हुए इस्लाम धर्म और मौहम्मद साहब के विरूद्ध आपत्तिजनक भड़काऊ भाषण देकर धार्मिक भावना भड़काते हुए सोशल मीडिया पर लाईव प्रसारण करने वाले उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।''

प्रार्थी

....

14. ''उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा दिनांक 23.12.2021 को समय 19:25 बजे धारा 153ए भा0दं0सं0 में पंजीकृत हुआ। मुकदमे की विवेचना प्रारम्भ हुई तथा दौरान विवेचना 295ए भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा वीडियो क्लीप की फोटो के आधार पर मामले में अभियुक्त को आरोपी बनाया गया, इसलिए उपरोक्त दोनों दण्ड प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क**– धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का सम्प्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने को दण्डनीय बनाती है तथा **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295क**– विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किये गये हों– जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

15. इस प्रकरण के तथ्यों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुऐ प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, अभियुक्त के विरूद्ध कथित अभियोग की प्रवृत्ति समाज में अशान्ति व असद्भाव को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति के आधार पर इस मामले में अपराध की प्रकृति, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना उपरोक्त दण्ड प्रावधानों में मामला तीन वर्ष तक के अधिकतम कारावास से दण्डनीय होने के कारण अभियुक्त को जमानत के आधार से वंचित किये जाने का कोई ठोस आधार इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष नहीं है।

16. जहां तक अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का प्रश्न है तथा विवेचक द्वारा जिन आपराधिक मामलों की सूची न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी है उसमें किसी भी मामले में अभी तक अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया गया है तथा समस्त मामले अन्वेषण, विचारण, चार्ज के स्तर पर विचारण न्यायालय में लम्बित है। ऐसी स्थिति में अन्य मामलों में कथित आपराधिक कार्यवाहियां के संस्थित व विचाराधीन होने के आधार पर इस मामले में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त करने के बजाये जमानत एक नियम है तथा जेल एक अपवाद है, के प्रतिपादित एवं सुस्थापित विधि सिद्धान्त का अनुशरण करते हुए अभियुक्त पर कठोर प्रतिबन्ध रखते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना इस स्तर पर न्यायहित में न्यायेचित प्रतीत होता है।

17. अतः उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र, जमानत प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित तथ्यों, तर्को व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 1-Amish devgan vs. Union of India (2021 1 SCC), 2-Bilal Ahmed Kaloo vs. State of A.P. (1997 7 SCC 431), 3- Ramesh vs. Union of India (1998 1 SCC 668), 4-Mahendra Singh Dhoni vs. Yerraguntla Shyamsundar (2017) 7 SCC 760, 5- Joginder Kumar vs. State of U.P. 1994 (4) 460, 7- Kalyan Chandra Sarkar vs. Rajesh Ranjan @ Pappu Yadav & Anr. (2004) 7 SCC 528

WWW.LIVELAW.IN
उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था में प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)क व अनुच्छेद 21 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)ख व धारा 41क, धारा 437 में विधायिका की मंशा को देखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त की भूमिका मुख्य अभियुक्त से पृथक होने के आधार पर अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

18. उपरोक्तानुसार अभियुक्त यति नरसिंहानन्द का जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त धाराओं 153ए व 295ए भा0दं0सं0 में सशर्त स्वीकार किया जाता है।

1. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय का अण्डरटेकिंग विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करेगा कि वह इस आदेश के उपरान्त समाज में नफरत व साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कोई भाषण नहीं देगा और ना ही ऐसे किसी आयोजन, जमाव का हिस्सा होगा जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का सम्प्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले अथवा आरोपित अपराध की प्रकृति के समान अपराध किये जाने की आशंका हो।

2. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अन्वेषण में सहयोग हेतु बुलाये जाने पर विवेचक के समक्ष उनके निर्देशानुसार उपस्थित होगा, अन्यथा की दशा में प्रत्येक माह की 10 तारीख को दौरान अन्वेषण स्थानीय थाने में अपने उपस्थित होने की सूचना देगा।

3. दौरान अन्वेषण गवाहों को प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से अभियुक्त द्वारा कोई उत्प्रेरणा, भय या धमकी नहीं देगा और ना ही गवाहों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

4. दौरान अन्वेषण बिना सम्बन्धित न्यायालय/ मजिस्ट्रेट की अनुमति लिये विदेश नहीं जायेगा तथा अभियुक्त के पास यदि पासपोर्ट है तो अपना पासपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को सात दिन के भीतर सुपुर्द करेगा।

अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तो को 7 दिन में पूरा करने पर तथा उपरोक्त आशय का अण्डरटेकिंग विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करने पर तथा 50,000/–रूपये के दो स्थानीय प्रतिभू व इसी धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है। इस जमानत प्रार्थना–पत्र पर हुये आदेश का कोई प्रभाव मामले के गुण–दोष पर नहीं पड़ेगा। आदेश की प्रति सी.आई.एस. साफ्टवेयर में अपलोड की जाये। कार्यालय द्वारा आदेश का अनुपालन किया जाये।

(भारत भूषण पाण्डेय)
दिनांकः 07.02.2022
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
हरिद्वार/कृते सत्र न्यायाधीश।